न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियाँ (आरएएस)

प्रकरण संख्या– 3/17 तारीख दायरा 14.12.17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

बनाम

शेरू उर्फ शेरू मोहम्मद आ0 हुसैन मोहम्मद मुसलमान निवासी चंदा महाराज की पुलिया के पास झालावाड़

राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु

निर्णय दिनांक 26.09.19

थानाधिकारी कोतवाली झालावाड़ के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के माध्यम से इस न्यायालय में शेरू उर्फ शेरू मोहम्मद आ0 हुसैन मोहम्मद मुसलमान निवासी चंदा महाराज की पुलिया के पास झालावाड़ के विरूद्व जर्ये सहायक लोक अभियोजक झालावाड़ इस आशय का पेश किया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैर सायल निरंतर शरीर संबंधी व सम्पत्ति संबंधी अपराध की घटनाऐं करित कर रहा है तथा कई प्रकरणों में सजायाब रहकर सजा भुगत चुका है। परन्तु समस्त प्रयासों के बावजूद भी गैर सायल भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 12,16 व 17 में वर्णित अपराध करना शुरू कर देता है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त गैर सायल को 5 वर्षो के अन्दर 3 प्रकरणों में दोषी करार देकर कठोर कारावास, साधारण करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्व समाज के आम नागरिक भी रिपोर्ट लिखवाने अथवा गवाही देने से कतराते है, इसका भय समाज में व्याप्त है, गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

गैर सायल के विरूद्व इस्तगासे में अंकित निम्न अपराध दर्ज करना, सजायाफ्त होना थानाधिकारी के द्वारा अंकित किया है:–

क0स0	प्रकरण संख्या	धारा	सजा
1	480/13	379 भा0द0स0	उक्त बंदी दिनांक 19.11.15 से ही केस नं0 184/14 में सजायाब होकर सजा भुगत रहा था इसलिए सजा वारन्ट के साथ दिनांक 04.02.16 को सजा काटने हेतु कोटा स्थानान्तरण किया गया ।
2	185/14	379,411 भा0द0स0	केस नं0 153/14 व केस नं0 184/14 में दिनांक 19.11.15 से ही जिला कारागृह झालावाड़ में सजायाब था जिसे कोटा स्थानान्तरण किया गया वारन्ट कोटा पहूँचाया गया।
3	186/19	379 भा0द0स	दिनांक 19.11.15 से दाखिल जैल हुआ जिसको 03.02.16 को केस नं0 153/16 में केस नं0 153/16 में दूसरी सजा हो जाने के कारण दिनांक 04.02.16 को सजा भुगतने हेतु कोटा कारागृह स्था0 किया गया

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

काटी)

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की और से वकील श्री मोहम्मद नईम खान द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया दौराने बहस वकील गैर सायल अनुपस्थित रहे गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया कि मुझे फाइनेंन्स की मोटर साईकल बताकर दी गई थी, जिसे मेने खरीद ली थी परन्तु वह चोरी की निकली ओर पुलिस अधिकारीगण द्वारा समस्त चोरी की मोटर साईकल के प्रकरण में मुझे अपराधी बनाकर पेश कर दिया गया है, जबकि मैने कभी भविष्य में चारी नही की है ओर न करूँगा मै अपने छोटे भाई की वेल्डिंग की दुकान अली स्टील वेल्डिंग मंगलपुरा गर्ल्स स्कूल के पास झालावाड़ में वेल्डिग का कार्य विगत 5–6 वर्षो के कर रहा हूँ। प्रार्थी आदतन अपराधी नही है, प्रार्थी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है एवं परिवार का मुखिया होने के कारण जिम्मेदारी से परिवार का भरण–पोषण कर रहा है, प्रार्थी के विरूद्व यदि उक्त कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थी का समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिसके कारण मेरे परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः इस्तगासा खारिज किया जावे, ताकि प्रार्थी अपना और परिवारजन का जीवन यापन सम्मान के साथ कर सके। पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन एवं परीक्षण से गैर सायल, राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित अनुसार अभ्यासित अपराधी की श्रेणी में आना प्रकट होता है। गैर सायल के विरूद्व 20 प्रकरणों में से 3 प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा गैर सायल को कठोर/साधारण कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। ऐसी दशा में गैर सायल राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित आभ्यासित अपराधी साबित होता है।

अतः इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैरसायल शेरू उर्फ शेरू मोहम्मद आ0 हुसैन मोहम्मद मुसलमान निवासी चंदा महाराज की पुलिया के पास झालावाड़ का नाम राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 के तहत उक्त अधिनियम द्वारा विहित रजिस्टर में आभ्यासित अपराधी के रूप में दर्ज करने एवं गैर सायल के अंगुली एवं हथेली–विह्न, पद चिह्न एवं फोटोग्राफ आदि लिए जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता है। साथ ही गैर सायल उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, अपने सामान्य निवास के परिवर्तन की सूचना भी संबंधित थानाधिकारी को अनिवार्य रूप से देने हेतु आबद्ध रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़